रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

16 AUG 1974

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 1974 (ज्येष्ठ 25, 1896)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 1974 (JYAISTHA 25, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किए गए हैं—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 28th February 1973:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

----शून्य----

----Nil----

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	587
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	967
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	665
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1281
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1519
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	231
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3625
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	375
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	301
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	99
पूरक संख्या 24—	
8 जून, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	689
18 मई, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-संबंधी आंकड़े	703

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	587
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	967
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	665
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1281
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1519
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	231
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3625
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	375
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	301
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	99
SUPPLEMENT No. 24	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 8th June 1974	689
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 18th May 1974	703

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 1974

सं० 10/11/74-के० से०—11 नवम्बर, 1974 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी किए गए नोटिस में बता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख की और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण संस्थान करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई अधिकारी, जो 1 जनवरी, 1974 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) सेवा की अवधि :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1974 को उसकी पांच वर्ष से कम की लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी—1 स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अपर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी—2 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपात्काल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा।

टिप्पणी—3 ऐसे अवर श्रेणी लिपिक को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा। तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित' रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु (क) 1-1-1974 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1929 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामले में जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपात् काल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968

तक सशस्त्री सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेना (प्रेपिक्षण अवधि समेत यदि कोई हो) को अवधि तक छूट दी जाएगी।

(ग) ऊपर निर्धारित आयू सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जाएगी :—

(I) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति मे संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(II) यदि उम्मीदवार बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(III) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(IV) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(V) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत सीलोन करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(VI) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(VII) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(VIII) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(IX) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(X) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम-स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(XI) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(XII) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र के गोआ, दमन और दीव का रहने वाला है तो अधिकतम तीन वर्ष।

(XIII) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाइयों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक।

(XIV) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाइयों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) **टाइप परीक्षा** : यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान की मासिक/तिमाही टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(I) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(II) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(III) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(VI) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रभाग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(V) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(VI) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(VII) परीक्षा भवन, में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(VIII) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(IX) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(I) संस्थान द्वारा, ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो संस्थान द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों को संस्थान की विज्ञप्ति के पैरा 5 (I) में निर्धारित शुल्क (फीस) देना होगा।

10. संस्थान परीक्षा के बाद हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो संस्थान के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनकी रेंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो संस्थान द्वारा सिफारिश किए जा सकेंगे।

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जेमिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में किए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर-सूची में शामिल किया ही जाए।

11. हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए। इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपर्युक्त है।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से

उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० स० आ० से० के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसवर्गीय पद पर प्रतियुक्ति के पात्र रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

के० बी० नायर,
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग—1 नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग—2 संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रेकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जिनके बारे में वह फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग—1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा।

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(1) निबंध तथा सार लेखन			
(क) निबंध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिए अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न पत्रों अर्थात् (I) निबंध तथा सार-लेखन, अथवा (II) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (III) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी—1 यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी—2 जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी—3 एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और आवेदन पत्र के कालम 8 में परिवर्तन करने से संबंधित को अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी—4 प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे।

नोट :— उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संस्थान अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे मतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों, क्रमबद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम-विवरण

(1) **निबंध तथा सार लेखन**

(क) निबंध विहित कई विषयों में से एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन सक्षम सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद किए जाएंगे।

(2) **टिप्पणी व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति** : इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचजनक है। उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए ये कार्यालय पद्धति की नियमपुस्तक (मेन्वल आफ आफिस प्रोसीजर) तथा रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट विजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा' पढ़ें।

(3) **सामान्य ज्ञान** : सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण जागरुकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है।

प्रत्याशियों के अन्तरों में उनके किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नहीं, अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मई, 1974

संकल्प

सं० 1(2)/73-सी० जी० पी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 55(1)/73-कल० इण्ड० दिनांक 25 सितम्बर, 1973 में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए एक नामिका के पुनर्गठन और संरचना की घोषणा की गई थी । उक्त नामिका में निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है :—

(1) श्री एम० एल० बोस,
प्रबंध निदेशक,
कुसम इंजीनियरिंग कंपनी लि०,
25, स्वेलोलेन, कलकत्ता-700001 ।
(मशीनों के उत्पादनकर्त्ताओं के प्रतिनिधि)

(2) डा० एस० के० बैनर्जी,
निदेशक,
एथरटन इंजीनियरिंग कंपनी (प्रा०) लि०,
21, राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड़, कलकत्ता-700001 ।
(क्लिस मैन्यूफैक्चरर्स के प्रतिनिधि)

(3) चीनी मिट्टी का प्रभारी उप-सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित लोगों के पास भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एम० सुब्रह्मण्यम,
अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

विश्व जनसंख्या वर्ष एकक

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1974

सं० 36/डब्ल्यू० पी० वाई०/74—अधिसूचना सं० 36/डब्ल्यू० पी० वाई०/74, दिनांक 16 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित की गई पुनर्गठित विश्व जनसंख्या वर्ष समिति में डा० अशोक मित्रा से संबंधित क्रमांक 3 की प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

3. डा० अशोक मित्रा,
भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अध्यक्ष, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ,
नई दिल्ली ।

एम० डब्ल्यू० के० यूसुफजई,
निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1974

संकल्प

सं० 12-2/73-सी० ए०-11—भारत सरकार ने भारतीय कपास विकास परिषद को पुनर्गठित करने वाले 14 सितम्बर, 1973 के संकल्प संख्या 12-2/73-सी० ए०-2 के अनुच्छेद 3(क) में दिए गए सदस्यों की सूची से कृषि मूल्य आयोग का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का निर्णय किया है ।

भारत सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव के अनुच्छेद 5 के अँतर्गत कृषि मूल्य आयोग के एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करने का भी निर्णय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

संकल्प

सं० 22-1/73-सी० ए०-2—भारत सरकार ने भारतीय तिलहन विकास परिषद को पुनर्गठित करने वाले 15 सितम्बर, 1973 के संकल्प सं० 22-1/73-सी० ए०-2 के अनुच्छेद 3(क) में दिए गए सदस्यों की सूची से कृषि मूल्य आयोग, का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का निर्णय किया है ।

भारत सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कृषि मूल्य आयोग के एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करने का भी निर्णय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

संकल्प

सं० 34-1/73-सी० ए०-11—भारत सरकार ने भारतीय पटसन विकास परिषद को पुनर्गठित करने वाले 8 सितम्बर, 1973 के संकल्प सं० 34-1/73-सी० ए०-11 के अनुच्छेद 3(क) में दिए गए सदस्यों की सूची से कृषि मूल्य आयोग, का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का निर्णय किया है ।

भारत सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कृषि मूल्य आयोग के एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करने का भी निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन० ए० आगा
अवर सचिव

नई दिल्ली दिनांक 27 मई 1974

सं० 2-8/73-एफ० एफ० एच० सी०—दिनांक 14 सितम्बर 1973 की इसी संख्या की अधिसूचना में आंशिक रूप से आशोधन करते हुए और भारतीय विकास लोक कार्यक्रम नई दिल्ली के संस्था के ज्ञापन तथा नियम एवं विनियमों के नियम 29 के अनुसार भारत सरकार ने सहायक आयुक्त (भा० वि० लो० का०) श्री आर० डी० कौशिक को श्री जे० वी० सिंह उपायुक्त (भा० वि० लो० का०) के स्थान पर (जो अल्पावधि के लिए विदेश में प्रतिनियुक्ति पर हैं) दिनांक 13-5-1974 से आगामी आदेशों तक उनके कार्यों के अलावा भारतीय विकास लोक कार्यक्रम के सहायक सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नामजद करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, उपराष्ट्रपति का सचिवालय, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, योजना आयोग भारत के महालेखा परीक्षक, भारतीय विकास लोक कार्यक्रम के सब सदस्यों और परियोजना के अधिकारियों को भेज दी जाएं। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

अबू हाकिम,
निदेशक (विदेश सहायता,

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1974

संकल्प

सं० 3/1/74-फ० ब० प०—फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प सं० 7/7/61-गं० बे०/फ० ब० प० दिनांक 6 नवम्बर, 1969 तथा संकल्प सं० 3/1/74-फ० ब० प० दिनांक 19 फरवरी, 1974 द्वारा यथा संशोधित संकल्प सं० 7/7/61 फ० ब० प० दिनांक 25 अक्तूबर, 1967 के पैरा एक में क्रम संख्या 14 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"15. सचिव, फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड" ....संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव तथा योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और पश्चिम बंगाल सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे उसे संघ राज्य के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित कर दें।

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel and Administrative Reforms

RULES

New Delhi, the 15th June 1974

No. 10/11/74-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management in November, 1974 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution, (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st January 1974 satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(i) Length of Service.—He should have on the 1st January, 1974 a continuous service of not less than 5 years

in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 3.—The Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(2) *Age*—(a) He should not be more than 45 years of age on 1st January, 1974 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd January, 1929.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent to the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces.

(c) The age prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly known as East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly known as East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(xiii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xiv) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribs.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting Test*.—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

5. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

7. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable

(a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Institute, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in para 5(i) of the Institute's Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR
Under Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :

Subjects	*Maximum marks*	*Time allowed*
(i) Essay and Precis-Writing		
(a) Essay	50 } 100	2 hours
(b) Precis-Writing	50 }	
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the schedule below :—

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing, or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi Devanagari) or English should indicate their intention to do as clearly in column 6 of the application form; otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in column 6 of the application form shall be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answers written in language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. *Noting & Drafting and Office Procedure.*—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure—Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training & Management—and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

3. *General Knowledge.*—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th March 1974

RESOLUTION

No. 1(11)/73-CGP.—The re-constitution and composition of a Panel for Ceramic Industry was announced in this Ministry's Resolution No. 55(1)/73-Con.Ind. dated the 25th September, 1973. It has been decided to include the following additional members in the above panel :—

1. Shri M. L. Bose, Managing Director,
   Kusum Engineering Co. Ltd.,
   25, Swallow Lane, Calcutta-700001.
   (Representing Machinery Manufacturers).

2. Dr. S. K. Banerjee, Director,
   Atherton Engineering Co. (P) Ltd.,
   21, Rajendra Nath Mukherjee Road,
   Calcutta-700001.
   (Representing Kiln manufacturers).

3. The Deputy Secretary in charge of the Ceramic Industry in the Ministry of Industrial Development.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING

WORLD POPULATION YEAR UNIT

New Delhi, the 27th May 1974

No. 36/WPY/74.—In the reconstituted World Population Year Committee notified *vide* Notification No. 36/WPY/74 dated the 16th March, 1974, entries at Sl. 3 relating to Dr. Asok Mitra, may be substituted as under :

3. Dr. Asok Mitra,
   Secretary to President of India and President,
   Indian Association for the Study of Population,
   New Delhi.

M. W. K. YUSUFZAI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 24th May 1974

RESOLUTION

No. 12-2/73-CAII.—The Government of India have decided to drop the representation of the Agricultural Prices Commission from the list of members shown in Clause III(a) of the Resolution No. 12-2/73-CAII dated 14-9-73 reconstituting the Indian Cotton Development Council.

The Government of India have also decided to include a representative of Agricultural Prices Commission as Observer under Clause V of the Resolution referred to above.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 22-1/73-CAII.—The Government of India have decided to drop the representation of the Agricultural Prices Commission from the list of members shown in Clause III(a) of the Resolution No. 22-1/73-CAII dated 15-9-73 reconstituting the Indian Oilseeds Development Council.

The Government of India have also decided to include a representative of Agricultural Prices Commission as Observer under Clause V of the Resolution referred to above.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 34-1/73-CAII.—The Government of India have decided to drop the representation of the Agricultural Prices Commission from the list of members shown in Clause III(a) of the Resolution No. 34-1/73-CAII dated 8-9-73 reconstituting the Indian Jute Development Council.

The Government of India have also decided to include a representative of Agricultural Prices Commission as Observer under Clause V of the Resolution referred to above.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. A. AGHA, Addl. Secy.

New Delhi, the 27th May, 1974

No. 2-8/73-FFHC.—In partial modification of Notification of even number dated the 14th September, 1973 and in terms of rule 29 of the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the People's Action for Deve-

lopment (India), New Delhi, the Government of India have decided to nominate Shri R. D. Kaushik, Assistant Commissioner (PADI) to act as Assistant Secretary, People's Action for Development (India) in addition to his own duties *vice* Shri J. B. Singh, Deputy Commissioner (PADI) on short deputation abroad, w.e.f. 13-5-1974 until further orders.

ORDER

ORDERED that a copy of Notification may be communicated to all State Govts., Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Private & Military Secretaries to the President, Cabinet Secretariat, Prime Minister Sectt., Vice-President's Secretariat, all Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Auditor General of India, All members of PAD(1) and Project holders.

ORDERED also that the notification be published in the Gazette of India.

ABU HAKIM, Director (FA).

New Delhi, the 9th May 1974

RESOLUTION

No. 3/1/74-FBP.—In para 1 of the Ministry of Irrigation and Power Resolution No. 7/7/61-FBP, dated the 25th October, 1967, as amended *vide* Resolution No. 7/61-GB/FBP, dated the 6th November, 1969, and Resolution No. 3/1/74-FBP, dated the 19th February, 1974, regarding the constitution of the Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage Control Board, the following may be inserted after serial number 14 :—

"15. Secretary, Farakka Barrage Control Board. .....Joint Secretary"

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to State Governments, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for general information.

S. N. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974